जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है वह मुझे समझ में नहीं आया । हर विमान सेवा का यह यत्न होता है कि उस के विमान पूरे भरे हुए जायें । एअर इंडिया का सारे संसार में इस समय अच्छा इमेज है ।

श्री शिव कुमार शास्त्री : मान लीजिये आप के एक विमान में 100 यात्रि जा सकते हैं–यत्न करने पर भी क्या उतने यात्री उपलब्ध हो जाते हैं या कुछ स्थान खाली जाते हैं ।

डा० कर्ण सिंह : सेंकड़ों फ्लाइट्स हैं कुछ भरी हुई जाती हैं, कुछ आधी जाती हैं– यह कहना सम्भव नहीं है । हम यत्न करते हैं कि सभी भरी हुई जायें ।

SHRI PRABODH CHANDRA: Since the hon. Minister has just now stated that the Air India is now making its defence, was it not very discourteous on the part of the Association to go to the Press and vilify Air India's great service when the case has not been finalised by the competent Court?

DR. KARAN SINGH: I do not know who went to the Press actually. But, indeed this is one of the occupational hazards. When the case is pending and when someone goes to the press, I must, in order to set the record straight, say here that Air India has got a very good image in the world.

मुझे एक शेर याद आया –

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।

सफाई कर्मचारियों का जीवन बीमा

*1069. **श्री शंकर दयाल सिंह :†**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 1973 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम सफाई कर्मचारियों का बीमा नहीं करता क्योंकि वे सरलता से रोगग्रस्त हो सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को हट के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां ।

(ख) जिन प्रस्तावों में अत्यधिक जोखिम ग्रस्त होती है, जैसे नालियों के मोखों से निकलने वाली जहरीली गैस और भूमिगत अन्य दुर्घटनाओं से सम्बन्धित जोखिमों के मामलों को छोड़ कर, अन्य मामलों में जीवन बीमा निगम, बीमे की अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत झाड़कशों और सफाई कर्मचारियों के जीवन बीमे के प्रस्ताव सामान्य दरों पर स्वीकार करता है ।

श्रीमती सावित्री श्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह संविधान की या एल०आई०सी० की किस धारा के अन्तर्गत कि उन के साथ ऐसा डिस्क्रीमिनेशन किया जाय, जो अधिक रिस्क में काम करे. जोखम में काम करें, चाहे मेन होल में या नाइट स्वाएल उठाये-उन को सोशल सिक्योरिटी प्रदान न की जाय ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: : मान्यवर, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है कि इस तरह की कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं है और सभी सफाई कर्मचारियों को उसी स्टेण्डर्ड रेट आफ़ प्रीमियम पर इन्शोरेंस किया जाता है । लेकिन जहां ज्यादा जोखिम है, जैसे जमीन के नीचे मेन होल्ज हैं, अण्डर-ग्राउण्ड ड्रेनेज है, जहां जहरीली गैस होती है, वहां सुरक्षा के प्रयास किये जाते हैं । जैसे बम्बई कारपोरेशन ने उनके लिये एक विशेष स्क्वेड बनाया हुआ है, जहां समय समय पर निरीक्षण किया जाता है । वहां यह भी देखा गया है कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर इस प्रकार की कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, वहां जोखिम का काम होने पर भी इस प्रकार का कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं हुआ है, सामान्य दरों पर इंशोरेंस हुआ है ।

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा कि जहां ज्यादा जोखिम होता है तो वहां मेरिट पर यह चीज देखी जाती है ।

श्रीमती सावित्री श्याम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री एक तो महिला हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही महिला हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम : और जीवन बीमा कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्त्री बच्चों के जीवन की सुरक्षा हो सके। उनके उत्तर से बिल्कुल साफ है, उसमें लिखा है कि जहां बहुत रिस्क इन्वाल्वड है उनको छोड़ कर दूसरों को है। तो मैं जानना चाहती हूं एक महिला होने के नाते जिस विभाग को वे देख रही है, अगर ऐक्ट में कोई त्रुटि है तो क्या उस धारा में वे संशोधन कराने का प्रयास करेंगी तथा मंत्रियों में स्टेटस को रखने के लिये जो एक फर्म विलीफ हो गया है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगी ?

श्रीमती सुशील रोहतगी : मैं इस आक्षेप को निराधार मानती हूं और इसका खण्डन करती हूं कि मंत्रियों के मन में स्टैटस को का विचार है :

दूसरे चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो जो भी जीवन बीमा कराता है सभी पालिसी, होल्डर्स एक हैं। फिर भी इस बात को देखते हुए कि समाज में एक परिवर्तन आया है हम अपने श्रमिकों और कमजोर वर्गों को विशेष सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए जीवन बीमा निगम ने स्वत: अपनी तरफ से स्वीपर्स को जहां पर पहले दो रुपया, चार रुपया, प्रति हजार पर अतिरिक्त देना पड़ता था उसको हटा दिया है। इसमें मंत्री के महिला होने का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती सावित्री श्याम : यह मैं मानती हूं कि सभी की जिन्दगी बराबर है, सभी का रिस्क बराबर है लेकिन मेरा निवेदन है और आपके द्वारा मांग है कि सभी प्रकार के काम करने वालों का कम्पल्सरी बीमा होना चाहिए।

PROF. MADHU DANDAVATE: Is it not a fact that a majority of safai karmacharis belong to the scheduled castes and in view of that, is it not a denial of equality of opportunity to the scheduled castes that when the issues like bonus come up, because they happen to be so-called unproductive workers, they are denied bonus and even adquate insurance facilities are denied to them because they are vaulnerable to risks and diseases? Will Government take the necessary steps to correct this position?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: So far as the first question about bonus is concerned I do not know how far it is connected with this. About the second part, I have made it absolutely clear that unless there is a particular hazard to life involved, the standard rates are applicable. Even when there are extra hazards involved, the question is examined on merits and if it does not justify any special rate, they charge the normal rates even for them. In any case, it is never more than Rs. 5 to Rs. 7.50 per thousand.

PROF. MADHU DANDAVATE: Which part of my question is not relevant? I asked whether it is not a fact that a majority of the safai karmacharis are scheduled castes. Is that irrelevant?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: It is true the majority of these people belong to the weaker sections of society and therefore in keeping with our social objective, we have viewed this matter in its wider perspective and taken this decision.

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: In the silver jubilee of independence, when this Government as well as the ruling party have accepted the policy of equality before law and social justice in view of Mahatma Gandhi's doctrine, when the minister has admitted on the floor of the House that when risks are involved, discrimination is necessary, will the Government change the policy immediately and see that these safai karmacharis get the benefits of life insurance?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have not said that there is any discrimination. I do not know how he got that impression.

MR. SPEAKER: She said that there is no discrimination

SHRIMATI M. GODFREY: Since Safai Karamcharis are more prone to diseases and, consequently, loss of life, I think they should be given more opportunities for insurance so that they could make some provision for their families.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: It is a suggestion for action.

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि इस तरह का कोई फर्क नहीं है, यदि यह स्थिति सही है और कोई फर्क नहीं है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या वे बतायेंगी कि कितने सफाई कर्मचारियों का अब तक बीमा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इससे पैदा नहीं होता ।

श्री नवल किशोर शर्मा : उनका रेशियो क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका सवाल से सम्बन्ध नहीं है ।

MR. SPEAKER: I am sorry this does not arise out of this.

SHRI PILOO MODY: The latter part of the question "what is the percentage insured" is relevant.

श्री फल चन्दवर्मा : माननीय मन्त्री महोदय का जो उत्तर है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी सफाई के साथ वास्तविक प्रश्न को टाला गया है । क्यों कि यह प्रश्न सफाई कर्मचारियों से सम्बन्धित है इसलिए इसको बड़ी सफाई से टाला गया है । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जीवन बीमा निगम जिसका कार्य ही यह है कि जीवन बीमा करे तो यह स्वाभाविक है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं तथा दूसरों की सेवा करते हैं उनकी सेवा करे परन्तु जीवन बीमा निगम उन लोगों की उपेक्षा कर रहा है जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है । तो मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं क्या मन्त्री महोदय इस विषय में थोड़ा गम्भीरता पूर्वक विचार करके यह संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो भारतवर्ष का निवासी है वह किसी भी प्रकार का काम करता है यदि वह अपना बीमा कराना चाहता है तो बीमा करने वाली एजेन्सीज उससे इन्कार नहीं करेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैंने माननीय सदस्य की बातों को बहुत गम्भीरता पूर्वक सुना है और जीवन बीमा निगम जो है उसने इन्हीं सिद्धान्तों की बिना पर स्वयं निर्णय लिया है । मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि जो 391 हमारे अकूपेशन्स हैं, उनमें से 356 अकूपेशन्स में जीवन बीमा निगम द्वारा निर्णय लेने के बाद, जो एक्स्ट्रा पेमेन्ट लिया जाता था उससे मुक्ति मिल गई है और जिसके कारण जीवन बीमा निगम को लगभग 40, 50 लाख का नुकसान भी होता है । थोड़े से अकूपेशन्स और हैं लेकिन उनमें इस बात को देखते हुए कि निगम का एक कमर्शियल स्थान भी है, कहां तक पूरा कर सकेगा यह बात है ।

SHRI N. K. P. SALVE: May I know whether the LIC considers profit-earning as its supreme objective? If not, may I know why they should not provide adequate facilities for the insurance of the lives of those who have occupational hazards so that the other people in the city may have hygienic life? Will the Government reconsider the entire decision so far as safai karamcharis are concerned?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I want to make it categorically clear that the LIC does not decline to insure these people. A majority of these people are covered by insurance at the standard rates. Only in those case where the hazards are great, because we have to cater to the social objectives, the premium, to be paid by them cannot, be subsidised by others. Therefore, it is on that basis that only those people who are exposed to great hazards, if they are prepared to pay a premium not exceeding Rs. 7.50 per thousand, are entitled to that.

Performance of Private and Nationalised Banks

*1072. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the private banks showed better performance in securing deposits and providing advances than the nationalised Banks during the years 1970-71 and 1971-72;

(b) if so the figures of comparative performances in this regard and the reasons for differential in their performances;

(c) whether due to unsatisfactory performance, Government propose not to expand branches of the nationalised Banks; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government to improve the working of the nationalised Banks in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.